

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, अररिया के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) प्रति कामगारों की दर से 60,000/- (साठ हजार रुपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के तहत 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगारों की दर से 1,00,000/- (एक लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मो० नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निवृत्तता का बीस, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० बाबुल मंडल, 46, नन्द लाल मंडल, पि० वर्ग	रूपा देवी, (पत्नी)	212 05.03.2026	ग्राम-बनकोरा, पो०-पथराबाड़ी, था०+प्र०-जोकीहाट, जिला-अररिया, 7292950116	360637234 08	SBI SBIN000 9218	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर का कार्य
2	स्व० बिरेंद्र प्रसाद सिंह, 37, राजेंद्र प्रसाद सिंह, पि० वर्ग	पूजा कुमारी, (पत्नी)	213 05.03.2026	ग्राम-बनकोरा, पो०-पथराबाड़ी, था०+प्र०-जोकीहाट, जिला-अररिया, 8271885177	591890036 33	INDIAN BANK IDIB000 S724	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य
3	स्व० शिवानन्द मंडल, 57, गेडू मंडल, पिछड़ा वर्ग	सावित्री देवी, (पत्नी)	218 05.03.2026	ग्राम-बनकोरा, पो०-बहारबाड़ी, था०+प्र०-जोकीहाट, जिला-अररिया, 9546054122	006610294 618	IPPB IPOS000 0001	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर का कार्य
4	स्व० मो० असफाक आलम, 34, मो० शहाब दहीन, पिछड़ा वर्ग	मोसामात सीमा, (पत्नी)	219 05.03.2026	ग्राम-महदेवा, पो०-पथराबाड़ी, था०+प्र०-जोकीहाट, जिला-अररिया, 9801860491	490881000 02770	BOB BARB0K AKANX	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर का कार्य

कुल राशि :- 1,60,000/-

(एक लाख साठ हजार रुपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-41/2025 - 162

पटना, दिनांक :- 18/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार

राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 1,60,000 (एक लाख साठ हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के
पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, अररिया/उप श्रमायुक्त, अररिया को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं
प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 15-06-2026 13:09:55

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhardi

(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक